>

Title: Regarding reported irregularities in implementation of agricultural debt waiver and debt relief scheme.

MADAM SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गम्भीर प्रकरण की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। कल सीएजी की तरफ से दो रिपोर्ट्स सभा पटल पर रखी गई हैं, जिनमें से एक रिपोर्ट किसानों के कर्ज माफी योजना से संबंधित है। आपको मालूम है कि सन् 2009 के चुनाव से एक वर्ष पहले सन् 2008 में सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपये की किसान कर्ज माफी योजना की शुरूआत की थी, जिससे आत्महत्याएं करते हुए किसानों को एक राहत का अहसास हुआ था कि हमारे कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। हम भी सोच रहे थे कि उनमें अब आत्महत्या का सिलसिला रुकेगा। लेकिन कल जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत चौंकाने वाले और पूरे देश को शर्मसार करने वाले तथ्य सामने आये हैं। सीएजी ने उस रिपोर्ट में कहा है कि कितने हजार पात्र व्यक्तियों के कर्ज माफ नहीं किये गये और कितने ही हजार अपात्र व्यक्तियों के कर्ज माफ कर दिये गये। वे माइक्रो फाइनैन्स इंस्टीट्यूशंस जिन्हें कोई पैसा देय नहीं बनता था, उन्हें भी वह पैसा दे दिया गया।

महोदया, हमारी सदन की स्थापित परम्परा है कि सीएजी की रिपोर्ट्स पीएसी के पास निरीक्षण के लिए जाती हैं, इसलिए हम सीएजी की रिपोर्ट्स पर आज चर्चा करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर की। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आज से पहले भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण उजागर हुए हैं, उसमें आरोप सरकार पर लगे हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रकरण है, जहां सरकारी खजाने का पैसा बैंक कर्मचारी और अधिकारी लूटते रहे, मगर सरकार उसकी निगरानी नहीं कर सकी। ...(व्यवधान) अपने दिए पैसे पर भी जो सक्रिय मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, वह नहीं कर सकी। पहली बार, सीएजी ने रिपोर्ट फाइनल करने से पहले आरबीआई को यह कहा कि हमने यह पाया है कि हज़ारों अपात्र लोगों को पैसा मिल गया है। हज़ारों लोगों को जितना पैसा दिया जाना था, उससे ज्यादा मिल गया। उन्होंने वे आंकड़े उसके सामने रख दिए। 7 दिसंबर को रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के यहां एक मीटिंग हुई और 15 जनवरी को एक परिपत्र, एक सरक्युलर आरबीआई ने बैंकों को जारी किया। उसकी प्रति मेरे हाथ में है। 15 जनवरी को आरबीआई ने यह कहा कि भारत सरकार यह चाहती है कि सुधारात्मक कार्यवाई जल्दी से जल्दी की जाए। वह कार्यवाई क्या है? एक-एक ऑब्ज़रवेशन को लिख कर उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों को जो पैसा ज्यादा दे दिया गया है उसकी वसूली तुंत की जाए। बैंक अधिकारी और ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। यह भी कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बारे में भी सोचा जाए। उन्होंने पंद्रह दिन की अवधि तय की। यह कहा कि यह सारी कार्यवाई पंद्रह दिन के अंदर-अंदर कर के आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को बताया जाए। यह पंद्रह जनवरी का सरक्युलर है। पंद्रह दिन की अवधि 30 जनवरी को समाप्त हो गई है। कल पांच मार्च को सीएजी की रिपोर्ट हमारे पास आई है। मैं भरत सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि पहले तो आप सोते ही रहे, यह तो जब सीएजी ने निकाला तो सैंपल सर्वे में ये चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन 15 जनवरी को आपके आदेश पर, इसमें लिखा है कि "The Government of India desires â€¦â€¦" भारत सरकार यह चाहती है। आरबीआई का यह सरक्युलर 15 जनवरी को निकला है। पंद्रह दिन में उनसे यह कार्यवाई अपेक्षित थी। अगर यह कार्यवाई 30 जनवरी तक हो जाती और सीएजी को बता दी जाती तो कल की रिपोर्ट में उसका उल्लेख होता। लेकिन इसका मतलब है कि इसके बाद भी कोई कार्यवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह इतना गंभीर विषय है, किसानों से संबंधित विषय है, एक तो किसान वैसे ही अपनी पचास समस्याओं को ले कर रोता रहता है। लेकिन उसको सरकारी खजाने से यह जो राहत मिलनी थी, वह राहत भी उसे नहीं मिली और बीच के लोग खा गए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप बीएसी में कोई दिन तय कर के, तिथि तय कर के, एक स्ट्रक्चरड डिस्कशन, एक पूरी चर्चा इस विषय पर इस सदन में कराएं, ताकि सब के सामने सत्य आ सके। ...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): यह राज्य सरकारों ने किया है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप यह उनको बताइएगा।...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : हम मध्य प्रदेश से आते हैं। ...(व्यवधान) आप क्या बात कर रही हैं? ...(व्यवधान) यह राज्य सरकारों ने किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) â€¦ **

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर राज्य सरकारें इसमें दोषी हैं तो सरकार जवाब में कह देगी। आप अभी क्यों उतावले हो रहे हैं? इतने किसानों का पैसा लोग खा गए। ...(व्यवधान) आपको हमारे साथ स्वर में स्वर मिला कर कहना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : राज्य सरकारों ने धोखा किया है। ...(व्यवधान) देश में सबसे ज्यादा ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो जाते हैं?

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, क्या हो गया? बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हर समय क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं जो बात कह रही थी, मेरी तवक्को थी कि इस पर पूरा सदन समस्वर में बोलेगा। इसीलिए मैंने यह नहीं कहा कि सरकार शर्मसार हुई है, मैंने कहा कहा है कि देश शर्मसार हुआ है। वे किसान, जिन्हें छोटा-छोटा पैसा मिलना था, कर्ज़माफी के माध्यम से राहत मिलनी थी और हो सकता है कि वे उस कारण आत्महत्या न करते तो हमारी संवेदनहीनता इतनी हो गई, संवेदनशीलता इतनी मर गई कि उनके जो थोड़े-थोड़े रूपये थे, वह भी खा गए। उसमें मेरे साथ स्वर मिलाने की बजाय आप खड़े हो कर इस तरह से बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप आसन की ओर देख कर बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर राज्य सरकारें दोषी हैं तो सरकार जवाब दे देगी।

अध्यक्ष महोदया : आप आसन की ओर देख कर बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन आप इस समय तो किसानों के साथ बोलिए। आप इस समय भी किसानों के साथ बोलने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप आसन की ओर देख कर बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा कराएं ताकि सत्य सामने आ सके। अगर कोई सत्य किसी राज्य सरकार के विरूद्ध जाता है तो वह भी सामने आजाएगा। यह विषय ऐसा है, मैं चाहूंगी कि पूरा का पूरा सदन इस पर संवेदनशीलता से अपनी बात कहे और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप चर्चा की तिथि तय करें।

अध्यक्ष महोदया :

श्रीमती ज्योति धुर्वे और

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदया, जो मामला नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने उठाया है और जो सीएजी की रिपोर्ट अभी लोक सभा में आयी है, वह बहुत गम्भीर है। यह 65 फीसदी किसानों का देश है। जब यह कर्ज माफ किया गया तो पूरे देश के किसानों में एक हलचल मची हुई थी और उनको लगा कि पहली बार सरकार ने उनकी दुखती हुई रगों पर हाथ फेरा है, लेकिन जो रिपोर्ट आयी है, वह चौंकाने वाली है। जिन पात्र किसानों का कर्ज माफ होना था, वह तो बैंक वालों ने किया नहीं और जिनका नहीं होना था, उनका कर्ज माफ कर दिया। अगर इन्होंने यह काम कायदे से किया होता तो जो लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी भी पैकेज देने के बाद भी, कर्ज माफ करने के बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं, शायद उस पर रोक लगती, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। सरकार ऐसा करना भी चाहती थी, फिर भी बैंक वालों ने यह काम नहीं होने दिया। सीएजी ने जब यह कहा, रिजर्व बैंक से उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने टाइम दिया कि 31 जनवरी तक इसका निष्पादन हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बैंक के जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, उन पर केवल एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। किसान बैंक में जाता है, मजदूर बैंक में जाता है तो उससे बिना पैसा लिये ये कोई भी काम नहीं करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में भी ये घपला करते हैं, जब किसान पैसा देता है, तभी उसे किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है।

महोदया, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जब आप इस पर चर्चा करायेंगी, तब तो सब लोग डिटेल में बोलेंगे, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि आप पीठ से सरकार को निर्देश दें कि तत्काल इस पर कार्रवाई कराकर सदन को सूचित करने का काम करें।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, आज हम बहुत गम्भीर विषय पर अपने कमेंट देने के लिए खड़े हुए हैं। देश में किसानों के लिए वर्ष 2008 में ऋण माफी योजना लागू की गयी थी, मैं समझता हूं कि वह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा, या जो भी रहा हो, लेकिन आज जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में पता चला है कि 65 हजार करोड़ रूपया ऋण माफी के नाम पर जिस तरीके से बैंक अधिकारी, हम सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि जो पैसा आपने बैंकों को दिया, उसका सही तरह से उपयोग हुआ या नहीं। उसकी एक कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, जिसने लोगों से मिलकर, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है और 9 हजार से ज्यादा खाता तलाशने के बाद महज लगभग एक हजार लोग उसमें पात्र थे, लगभग 13 परसेंट लोग ऋण माफी के पात्र थे।

महोदया, आप समझ सकती हैं कि इस देश का किसान कितना भोला-भाला है। इतने प्रतिशत ऋण माफी के बाद भी, जो पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि पूरे देश के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आज तो वैसे भी किसान धान की खरीद को लेकर परेशान है, उसकी धान की फसल की खरीद नहीं हो रही है, आलू की खरीद नहीं हो रही है तो वह हर तरफ से परेशान है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो सीएजी की रिपोर्ट आयी है, इसमें कौन दोषी है, कौन नहीं, यह तो जांच के बाद पता चल जायेगा। लेकिन इतना बड़ा जो घपला हुआ, और जो बैंक के लोग इसमें शामिल हैं, मेरा सरकार पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन अगर आपने किसानों के हित के लिए पैसा दिया है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। अभी हमारे दूसरे साथी कह रहे थे कि बैंक के लोगों की आज यह हालत है कि ...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वे शैडयूल्ड बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : जी हाँ, वे सभी बैंक हैं। हमारे सदन के जितने भी सदस्य हैं, यदि किसी बैंक में कोई सदस्य या पोलिटिकल आदमी चला जाए एक गाड़ी फाइनैन्स कराने के लिए, तो उनकी सिफारिश पर कोई गाड़ी फाइनैन्स नहीं हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर घपला है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। किसी भी संसद सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनकी शर्तों पर गाड़ी फाइनैन्स करा ले तो नहीं करा सकता। इतना बड़ा घोटाला जो बैंक के लोगों ने मिलकर किया है, माइक्रो फाइनैन्स कंपनी ने किसानों के नाम पर जो किया है, मैं समझता हूँ कि इसकी रिकवरी भी उन्हीं से होनी चाहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, सुषमा जी ने जो सवाल उठाया, जितने भी संसद सदस्य लोक सभा में सक्रिय रहते हैं, हम सबको पहले दिन से मालूम है कि इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पर जो कर्ज़ माफी है, उसमें बैंक के लोग बहुत ही हेराफेरी कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री प्रणव बाबू थे तो मैं दो बार उनसे मिला और जहाँ-जहाँ मैं घूमा था, वहाँ के आँकड़ों सहित किस्से मैंने दिये। उन्होंने आश्वासन भी दिया। मैं आपके पास भी इसको उठाने वाला था। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, यह तो पार्लियामैंट में आएगी और पीएसी के सभापति इसको देखेंगे, लेकिन इससे हमारा वास्ता यह है कि हिन्दुस्तान के जो किसान और गरीब लोग हैं, उनकी बाबत जितने भी मामले यहाँ लोक सभा से और आपकी सरकार से तय होते हैं, वह उनके पास नहीं पहुँचते हैं जैसा इस मामले में हुआ। मैं नहीं मानता कि यह मामला सरकार का नहीं है। सरकार आपकी है और ज़िम्मेदारी आपकी है, बैंक आपके हैं। आप इतनी बड़ी योजना लगाते हैं और वह योजना आप ठीक से नहीं लगाते हैं। रिज़र्व बैंक मीटिंग करता है और 30 जनवरी की तारीख दे देता है। इसके बाद भी इसमें एक रास्ता निकालकर जिन लोगों ने इसमें गोलमाल किया है, वह उन लोगों से किया है जो आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहाँ कहा गया है कि स्ट्रक्चर्ड डीबेट होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यह बहस तो जब होगी, तब होगी, लेकिन कार्रवाई आपको तत्काल आज से शुरू करनी चाहिए। आज से शुरू करके जो अपराधी लोग हैं, जो इस तरह से गरीब आदमी के पेट को काटते हैं, उनका इलाज करने का काम आपकी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है। बहस तो जब होगी, तब होगी, लेकिन आप इसको इनीशियेट करिये।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, the Scheme that was implemented was actually named "Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme". The Government of India had announced very categorically that the implementation of this Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme for farmers would be done by the Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks and Cooperative Banks, all put together. However, it is most unfortunate that in maximum number of cases, those who were selected after a thorough scrutiny have not received any financial assistance.

The waiver scheme was not applicable to them. In the report of the Reserve Bank of India, its observation was that ineligible accounts were extended benefits under the scheme. The audit has noted that to provide benefit to ineligible farmers, instances of tampering, over-writing, inadequate documentations etc. had taken place and in addition, benefit was not only extended to farmers directly but in some cases, loans were extended to MFIs and then claimed and disbursed. So naturally, Madam, everyone of us should remain concerned with the grave issue. Farmers are fighting for their livelihood. Hungry farmers are fighting with hunger for their livelihood. We should not allow such things to happen anymore when our attention has been drawn. It is not important whether the responsibility lies with the Government of India or with the State Governments or with anybody else, but it is important to discuss it in detail. Thank you Madam, the situation is so grave that you have given time to all political parties to record their voice in the interests of the farmers. The farmers will, at least, feel that their issue will be discussed and debated in future on the floor of the House in detail. We fully believe that the interests of the farmers are to be protected and the Government should take stern measures against those who are really responsible and guilty for such type of heinous actions and activities.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2008-09 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा की थी कि वर्ष 1997 से वर्ष 2007 तक जिस किसान ने कर्ज लिया है, छोटा किसान और सीमान्त किसान, वह अगर एक साल में, फरवरी, 2008 तक अगर रिफन्ड नहीं कर सका तो उनका कर्ज माफ किया जाएगा। हम सभी ने, तमाम विरोधी पक्ष और हम तो उस समय बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे थे। हमने उसका समर्थन किया था। लेकिन हमने बजट भाषण पर बोलते समय सरकार को सावधान किया था कि इसका इम्पलीमेंट ठीक ढंग से होना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट कल जो पेश हुई, हम तो छः महीने से यह सुनते आ रहे हैं कि जिनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला है। हमारे देश में 2 लाख 76 हजार किसानों ने खुदकुशी की है और आज भी खुदकुशी चल रही है। हर तीस मिनट में एक किसान को हमारे देश में आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे देश में 80 फीसदी गरीब और छोटे किसान हैं और इन किसानों का पैसा लूटा गया है। हमारे देश में तो लूट हो रही है, हजारों-करोड़ों-अरबों की लूट हो रही है, हर रोज़ हमारे देश में लूट हो रही है। लेकिन यह सवाल इतना गम्भीर क्यों है, क्योंकि हमारे देश के छोटे किसानों का पैसा लूटा गया है। 90 हजार उन्होंने दिखाया है।...(व्यवधान) 90 हजार में 22 हजार, लेकिन जब पूरा आ जाएगा तो कितना होगा? कम से कम एक करोड़ से ज्यादा किसानों का पैसा लूटा गया है। किसने यह पैसा लूटा है? क्या सरकार को यह सब पता नहीं था? सरकार को सब पता था। लेकिन सरकार को सब पता होने के बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या सरकार का इस सदन के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या सरकार सदन को जवाब नहीं देगी। The Government is answerable to the House. This is a matter of more than one crore small and marginal farmers. Their money was looted by some officials. Who are those involved? We demanded a structured debate. यहां पर स्ट्रक्चर्ड डिबेट होना चाहिए। वह तो होगा। जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर देकर पन्द्रह दिनों का समय दिया 30 जनवरी तक। 30 जनवरी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या आप यह जवाब नहीं देंगे? क्या सदन को बताएंगे नहीं कि कौन-कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? जिन्होंने हमारे देश के किसानों का पैसा लूटा, करोड़ों-अरबों रुपया लूटा, कौन इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा था, यह भी सदन को बताना पड़ेगा ।

मैडम, यह बहुत गंभीर विषय है, किसानों का विषय है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जल्दी-जल्दी हमारे इस बजट सत्र के प्रथम फेज के खत्म होने के पहले ही सरकार सदन को बताएगी कि क्या कार्रवाई की गयी है और जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, यह सदन को बताएंगे और फिर सदन में चर्चा होगी।

MADAM SPEAKER:

Shri M.B. Rajesh, Smt. Jyoti Dhruve, Shri Ravindra Kumar Pandey and

Shri P.K. Biju are allowed to associate with this issue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I fully endorse the view that has been expressed by the Leader of the Opposition relating to the issue of squandering and looting of the money that was provided for the farmers as loan waiver. One is aware of it because when the announcement was made during the Budget of 2008-09, at that time. Invariably most of the Members who had spoken on that issue had cautioned the Government that the Government should take all precautions so that the benefit is provided to the farmers.

Last week, when I was speaking during the discussion on the Motion of Thanks, I had quoted what had come out in the print media relating to the draft Report of the C&AG. Yesterday the Report was placed in the Rajya Sabha and now it is in the public domain. Very rightly it has been mentioned that not only one MFI but a number of MFIs have taken the benefit or have hoodwinked the system that is prevalent in our country relating to loan disbursement. There is a mechanism in-built in banking system to have internal audit. There is a central auditing mechanism also. Despite all these mechanisms that are in place, we find that systemic failure has taken place and crores and crores of money have been swindled. It has also been found that records have been tampered. A farmer who does not have a single acre of land, has been provided with Rs.20,000 to Rs.1.00 lakh or Rs.1,20,000 as loan waiver. How could this happen? As we all know, as the enlightened Members of this House, we are aware that when a draft Report is prepared by the C&AG, that is sent to the concerned Department. Subsequently, a meeting also takes placeâ€¦...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, I want to tell all the hon. Members that there is an established tradition in the House that once the C&AG Report is laid on the Table of the House, it goes to the PAC. It is not discussed in the House.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What is the controversy about? So, you can speak about the situation prevailing because of the waiver of loans to the farmers. But please do not dwell on the C&AG Report because it has to go to the PAC. Let us not mix the two. Please do not go on mentioning it again and again. I would request all the Members.

...(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am very much aware of it. Thank you very much for reminding me. ...(*Interruptions*)

SHRI SANJAY NIRUPAM (MUMBAI NORTH): I am a Member of the PAC also.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: That is why you clapped, as a Member of the PAC. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: That is okay. That is all right. These are not the things, I am referring to something very serious.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It is a very grave matter. I was asking my colleagues - जैसे हिन्दी में कह दिया, यह काफी गंभीर मामला है। What we should call it in English? Is it grave? Is it serious? Or is it something more than that. I will search the dictionary for a better word that can be used for this.

This is a unique case. Invariably for last twenty years since 1992-93 we have been hearing about scams. We have been hearing that political persons are involved in corruption. But here is a case where the system itself has failed. This system is not very new. This system has been in place for the last forty years. This is an administrative failure. Are we going towards the period of demise of the Soviet Union when Perestroika and Glasnost happened and the system collapsed? Is this a symptom of that system collapse? If it is not, then it is good.

What more can be done, we will be discussing later on, perhaps before the first part of this Budget Session closes. I would only mention that there was an exit meeting - I am not referring to the CAG Report - between the auditors and the concerned Department or the Ministry where the RBI was instructed, NABARD was instructed, the Department of Financial Services was also instructed and accordingly letters were sent to concerned scheduled banks to comply within a given period of time that is before 31st January.

This Report which is in our hands today was signed by CAG on 15th February and today is 6th of March. What action has been taken? PAC will deliberate where the flaw is and where the system failure is. The Government should come out with its position on this because this has been there in public domain for last three, four weeks. It is being discussed in the media. It is in the print media. Instances have been given. That is why my humble request to you, Madam, is that this House should deliberate this matter and punitive action has to be taken against the culprits. No State is free from this type of bungling. An exemplary action needs to be taken, and the sooner the better it is.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, सन् 2008 में भी चिदम्बरम जी ही वित्त मंत्री थे, उस समय उन्होंने यहां पर बजट में किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की थी। उस घोषणा से पूर्व जब उस चर्चा में मैंने अपनी बात रखी थी, तब भी मैंने यह बात सदन के सामने रखी थी, उसको मैं आज यहां पर दोहराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, यह मांग महाराष्ट्र के विदर्भ से उठी। सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र के विदर्भ में हुई। सन् 2005 से लेकर 2008 तक, तीन साल में पांच हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। इसलिए कर्जा माफी का आंदोलन विदर्भ से शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने किया। जब हमने पहली मांग उस आंदोलन में नागपुर में की कि देश के किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, तब उस संदर्भ में आज के प्रधान मंत्री, यूपीए-वन के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी ने एक वार्तालाप में यह कहा था कि देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। उसी बात को उस समय के वित्त मंत्री, चिदम्बरम जी ने दोहराया था, लेकिन धीरे-धीरे यह मांग विदर्भ, नागपुर से निकली और वह महाराष्ट्र से होते हुए पंजाब तक पहुंच गई। देश के सारे किसान उत्तेजित हुए। तब वर्ष 2008 में वित्त मंत्री जी को यह घोषणा करनी पड़ी कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और किसानों की कर्ज माफी हुयी।

अध्यक्षा जी, कर्ज माफी होने के बाद जब-जब भी इस संदर्भ में इस सदन में चर्चा हुयी है, तब कई बार हमने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इस कर्ज माफी में बहुत बड़ी लूट हो रही है। कर्ज माफी के लिए जो सही हकदार है, उन किसानों को कर्ज माफी नहीं मिल रही है और जिनका कर्ज माफी से कोई ताल्लुक नहीं, कर्ज माफी से जिनका कोई लेना-देना नहीं है, ऐसे किसान जिनकी माली हालत अच्छी है, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं, उनके एकाउंट क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा एक और चिंता की बात है कि कर्ज माफी घोषित करने के बाद कर्ज माफी के सर्टीफिकेट ईश्यू किए गए। वे सर्टीफिकेट किसानों के पास गए। किसान ने मान लिया कि मेरा कर्ज माफ हो गया।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्षा जी, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं एक गंभीर विषय सदन में रख रहा हूं, जो मैंने उस समय वित्त मंत्री जी के सामने रखा था। सर्टीफिकेट ईश्यू होने के बाद, किसी भी किसान को नया कर्ज देने से बैंकों ने इन्कार कर दिया। एक तो किसानों को कोई कैश नहीं मिला, केवल सर्टीफिकेट मिला और जब अगली फसल के लिए किसान कर्ज लेने के लिए बैंकों में गए तो बैंकों ने किसानों को कर्ज देने से सीधे नकार दिया।

अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार की ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जिन किसानों की आत्महत्या के कारण कर्ज माफी सरकार को करनी पड़ी, उन लाशों के ऊपर जिन अधिकारियों ने कर्ज माफी में यह घिनौनी लूट की है, यह बिल्कुल अपराध है और इसे अपराध करार करते हुए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह संस्था हो।

अध्यक्षा जी, सीएजी की रिपोर्ट पर मैं यहां पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सुषमा जी ने यहां कहा कि उन्होंने आरबीआई के ध्यान में यह बात लायी। आरबीआई ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर निकाला, उन्होंने एक समय-सीमा कार्रवाई करने के लिए दे दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुयी। मैं सुषमा जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस पर चर्चा हो। चर्चा जब भी हो, लेकिन जो लोग इन किसानों की आत्महत्या पर, इनकी लाशों पर लूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, most of the hon. Members have raised this very serious issue of how the officials misused and diverted the money of the Exchequer to ineligible farmers. India is still an agricultural country. Our farmers are facing a lot of problems in getting loan from the scheduled commercial banks. This is a problem which they are facing.

The CAG Report has come out now; even though we are not discussing it now, it reveals – as our hon. Members said – that most of the ineligible farmers have, somehow or the other, managed to get loans from the scheduled commercial banks. As Shri Mahtab said, when the Exit meeting took place before submitting the CAG report, the officials would have definitely come to know what had transpired. At that time itself, they could have taken some action. The RBI also had instructed the officials to take necessary action to recover the money from the ineligible farmers who have got the benefit of the loan waiver scheme. But action has not been taken. This is a serious issue; it is very necessary that we have a discussion on it. You have to give sufficient time for discussion, Madam, and also we have to take up this issue for discussion very urgently.

I have also given a notice of Adjournment Motion to discuss the issue regarding Sri Lankan ethnic crisis and it should be taken up for discussion. Therefore, I request the hon. Minister concerned to let us know when we are going to take it up. It is a very important issue which our country is now facing. So, I request the hon. Minister to accept the demand for having a discussion on this Sri Lankan ethnic issue at the earliest.

MADAM SPEAKER: Shri P. Lingam is allowed to associate with the Sri Lankan issue raised by Dr. M. Thambidurai.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्मम): मैडम स्पीकर, अभी किसान की कर्ज माफी के ईश्यू के ऊपर बात हुयी। जिस तरह से मिडिल मैन द्वारा फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट डालकर किसानों के साथ लूट हुयी, उससे हमें बहुत तकलीफ हुयी है। मैं भी एक किसान के बेटा हूं। किसान को जिस तरह से देश में लूटा है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज के दिन देश का किसान बहुत तकलीफ में है। अभी विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में मेनली आंध्रप्रदेश में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। पहली दफा आंध्रप्रदेश का किसान बोल दिया कि हम खेती नहीं करेंगे, क्रॉप हॉलीडे एनाउंस किया है। यह भी गवनर्मेन्ट के समय में हुआ है। किसान को इतनी तकलीफ होने से, जिंदगी भर खेती करने वाले किसान, खेती उनका लाइव्लीहूड है, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग खेती नहीं करेंगे, दो साल पहले तीन लाख एकड़ जमीन में खेती नहीं किया। हम पन्द्रहवीं लोक सभा में आने के बाद हम सोचते थे कि किसानों की समस्या को यह गवनर्मेन्ट बहुत सिरियसली लेगी। किसानों को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। मगर वह सब पार्लियामेंट के रिकार्ड्स में है और आज भी देश में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। अभी इस इश्यू के ऊपर CAG का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आया है, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर आरबीआई ने ड्राफ्ट रिपोर्ट के ऊपर जो मीटिंग किया था उसमें गवर्नमेंट का पूरा सेक्रेट्री इंवाल्व है। गवनर्मेन्ट के सेक्रेट्री को मालूम है कि क्या हो रहा है? उसके बैंकर्स को भी बुलाया था, मेनली Corporation बैंक और डीसीसीबी, ये सभी बैंकर्स को भी मालूम है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो मामला उठाया है, आरबीआई के नोटिस में आने के बाद भी यह कंट्रोल नहीं हो पाया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्मम): इतना गंभीर विषय पर बात करने के समय में, उधर से एक माननीय सदस्य ने उठ कर बोले। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ये सब बातें अब आप बाद में बोलिएगा। आप अपनी बात बोलिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : आंध्रप्रदेश में किसानों को आज के दिन में जो तकलीफ है। ...(व्यवधान) इस रिपोर्ट के अंदर भी किसानों के बारे में भी लिखा है, वे उठ कर आंध्रप्रदेश के बारे में बात करें। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

अध्यक्ष महोदया : अब आपका समय समाप्त हो गया। You have run out of your time.

(Interruptions)....

MADAM SPEAKER: Nothing, except what Shri Sanjay Nirupam says, will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है। नेता प्रतिपक्ष ने आज जो विषय सदन में रखा है वह निश्चित तौर पर गंभीर विषय है। उसके प्रति हम सब चिंतित हैं। वर्ष 2008-09 में अच्छी नियत और शुद्ध विचार के साथ कर्ज माफी की योजना एनाउंस की गई थी। इरादा यह था कि साढ़े-तीन चार करोड़ किसान, जो अपने फसल की बर्बादी और कर्ज के बोझ से परेशान हैं, आत्म हत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं उनको कर्ज माफी दी जाए, यह इरादा था और लगभग 52 हजार करोड़ रूपये का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमारे देश में 60 साल से ज्यादा पुरानी व्यवस्था है, हमारे देश में जो वितरण की व्यवस्था है उस व्यवस्था में डायरेक्ट एक मिनिस्टर इंवाल्व नहीं होता, सेन्ट्रल गवनर्मेन्ट डायरेक्ट शामिल नहीं होती। उस पूरी व्यवस्था में आप राज्य सरकारों के जरिए जो स्थानीय जिला सहकारी बैंक होते हैं, भूमि सुधार बैंक होते हैं या नेशनलाइज बैंक होते हैं, उन बैंकों के माध्यम से, ये सारा काम करते हैं। बैंकों के माध्यम से पात्र किसानों को पैसे नहीं मिले, नापात्र किसानों को पैसे मिले, ऐसी व्यवस्था हुई है, ऐसी अनियमितता हुई है, ऐसे लैपसेज पाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा गंभीर विषय कुछ नहीं हो सकता है। पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए। लेकिन, याद रखिएगा कि साढ़े तीन-चार करोड़ एकाउंट्स का मामला है। बैंकों में जो खाते खुले, सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं लेकिन सीएजी भी अधिकतम 90 हजार खातों की छानबीन कर पाए हैं। उन्होंने 90 हजार खातों को सैम्पल के तौर पर लिया और 20 हजार खातों से ज्यादा नहीं पहुंच पाएं। वे बीस करोड़ रूपये से ज्यादा नुकसान नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे उसे विस्तार में नहीं जाना है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do not go into the Report. If you go into the Report what will PAC do? PAC will become redundant.

...(*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : मेरा कहने का आशय यह है कि एक बहुत बड़ा विषय है, बड़ा व्यापक विषय है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन पूरी छानबीन होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुझे लगता है ज्यादती होगी। बैंक के अधिकारी या बैंक, चाहे बड़े ऑफिसर हैं या छोटे, अगर इसमें कहीं भी शामिल पाए जा रहे हैं तो उन अधिकारियों को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी जिन अधिकारियों ने ऐसी गलतियां की हैं और जिनकी गलतियों की वजह से हमारे पात्र किसानों को कर्ज माफी की योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें पुन: इसका लाभ दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। तब मुझे लगता है कि इस बहस का एक सार्थक अर्थ निकलेगा अन्यथा यह बहस सिर्फ एक राजीतिक बहस बनकर रह जाएगी। जब सीएजी की रिपोर्ट पीएसी के पास आएगी, मैं पीएसी का मैम्बर हूं, मेहताब साहब भी हैं, हम पीएसी में बढ़िया से चर्चा करेंगे। लेकिन पीएसी की स्क्रूटनी के बाद ही कहीं पाया जा सकता है कि सीएजी की रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत है, उसमें कितना दम है। उसके बाद छानबीन होनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): अध्यक्ष महोदया, मैं सोच रहा था कि सरकारें ऐसा काम नहीं करतीं जैसा यह सरकार करती है। अगर सरकार है तो पैसा उन लोगों के पास जाना चाहिए था जिन पर कर्जा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है - सरकार की है। अफसर किसके हैं? सरकार के कंट्रोल में हैं। कंट्रोल कैग करेगी या सरकार करेगी, मुझे यह बताइए। जब कैग की रिपोर्ट आती है तो हम सब कहते हैं कि यह गलत है, गलत है। गलती करने वाला कौन है? गलती करने वाली सरकार है।...(व्यवधान) अकाली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, घबराने की बात नहीं है। मेरी रिक्वैस्ट है कि जो भी जिम्मेदार है, उस पर एक्शन लेना चाहिए और इस बारे में स्पैशल डिसकशन होनी चाहिए।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, आपके चैम्बर में बात हुई थी कि इस बारे में बाद में विस्तार से चर्चा होगी। आज सुषमा जी इंट्रोडयूस करेंगी और सब नेता दो-दो मिनट बोलेंगे। इसलिए हम आज विस्तार से नहीं बोलना चाहते हैं। उस मंत्रिमंडल का मैं भी सदस्य था। हमने बहुत अच्छी नीयत से कार्य किया था। लेकिन जो स्कैंडल हुआ है, जिन अधिकारियों और बैंकर्स ने मिलकर किसानों को लूटा, लूटा ही नहीं बल्कि घिनौना काम किया है। पोलीटिकल सिस्टम और राजनेताओं को बदनाम किया जाता है, ये सब हाथी के हाथी निगल गए। सरकार की नीयत पर कोई खोट नहीं है, यह सरकार के इंटरस्ट में है। लेकिन चर्चा से पहले सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सुषमा जी ने सारी चीजें पढ़कर उनकी ओर इशारा किया है। उन तमाम लोगों को जेल भेजना चाहिए। यह बात सरकार के हित में है। मैं आज यही कहना चाहता हूं।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam thank you very much for having given me an opportunity to speak. I was just watching the proceedings of the House. When you called me, I was more concerned about the issue.

I have also served as the Chairman of the Public Accounts Committee for more than six years. I do not want to plead on behalf of anybody. As you rightly pointed out, the procedure is that when the C&AG's Report comes, it is the duty of the Government to reply to the issues raised by the C&AG and if it is not going to be convinced, the C&AG has to report and the Report has to be placed on the Table of the House. Then, it is the responsibility of the Public Accounts Committee to examine the whole issue in detail. When the Public Accounts Committee is not going to accept the action taken by the Government, then the matter will be placed as it is by the C&AG and then the matter is going to be placed on the Table of the House. So, we have every right to discuss the entire fraud. I am not going to deal with the procedures which we had observed when I was the Chairman of the Public Accounts Committee. I am only concerned with the farmers who are suffering. This issue was raised in the previous Session when our former Finance Minister, who is now the President of this Republic, was here. I myself raised this issue. I do not want to say anything beyond this. In some States, the real farmers are not going to get the benefit of the loan waiver system. Why? It is because even today, the landlords are giving oral tenancy rights. Please pardon me, I am not going to attribute motives to any political party. Today, the farmers who have no ownership rights are going to be given the benefit. How? The land owner or the landlord will take the loan and under his mercy, the tenants have to get whatever little benefit and that is how, the banks have given loans. This benefit has not gone to the real farmers. I am so sorry to say this.

If I am correct, in 1931 or 1932, in Avadi Congress Session the Resolution was brought to bring about land reforms in this country. I am afraid, I am not going to attribute any motive against any State or any political party. Even today, the real tenants are oral tenants and crop-sharing tenants somewhere. Still this system is going on. The object of bringing land reforms has not materialised. That is why, all these things are going on. I am so sorry to say this. Since 1991, I have struggled for the welfare of the farmers. I do not want to say anything about UPA or NDA. With good intentions, the Government has taken this step to waive the loans, whether to small farmers or medium farmers. It is not the question of only waiving the loan here. It is the question of the procedure adopted on how it is being done. I just want to give my own views. It is not to support this Government or that Government. I am so sorry.

The whole system has to be probed by the PAC. In the meanwhile, this is a serious matter. You have given some guidelines about the PAC when my friend was speaking. If you allow a special discussion on the entire system of fraud, I am prepared to come out with all details as this is a very serious matter. It is not the question of half-an-hour discussion. Let there be a full discussion on this subject. I appreciate the intention of the Government. When they have announced it, I appreciated it. Today, it is not the question of the system; it is an entire failure because we are unable to bring the Land Reforms Act *in toto*. That is why, the landlords, and not the real farmers, are enjoying the benefit. The whole benefit of this has not gone to the real cultivators. This is what I want to say.

I demand a discussion without blaming the Government. It is not the question of blaming the Government. Let there be a threadbare discussion on how the real tenants or the cultivators are not getting the benefit. That is the issue on which I demand a threadbare discussion from the Government.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Madam Speaker. I have also given a notice to speak on the same subject. I must thank you for taking up this matter at least for a short discussion but I demand a full-fledged discussion on this matter.

In the Budget Session of 2008-09, when the UPA –I announced this sort of a scheme for debt waiver and debt relief for the farmers, we had expressed our apprehension on whether this benefit will go directly to eligible persons or it will be misused or siphoned off.

Now, the matter has come up and we are taking up this matter for discussion when the Report has been placed by the CAG in the Parliament. I am not going to discuss the CAG Report but it is a matter of deep apprehension and great concern. I do endorse the views expression by my previous speakers. But what is the matter? It was estimated in May, 2008 that about four crores of marginal and small farmers and about one crore of other farmers will get benefit from this Scheme. The Government is claiming that during the last four years they have waived Rs. 52,000 crore related to four crores of farmers. I would like to know whether they have the actual figure of the farmers who have benefited. Who are the marginal farmers, who are the small farmers and who are the other farmers who have benefited? The bank is not claiming, but the Government is claiming that they have given the benefit to the farmers worth Rs. 52,000 crore. I know that proper report or proper record is not maintained even by the Government. This is how they are functioning.

This is not the only case of siphoning off of the funds to the micro finance institutions. The issue which concerns us more is that the allegation is made that benefit has been given for waiving the personal loans, for waiving the loans for vehicles, for

waiving the loans for shops, for waiving the loans for even purchasing lands, for waiving the loans for advance against the pledge or hypothecation of the agricultural produce. So, there are gross irregularities and gross looting by not only the officials but also by the bankers, who are conniving with them. This has been done in connivance with some powerful forces in different areas. So, I think this issue should be taken up for discussion.

Now, we are talking about the direct benefit transfer. This is a clear case of direct benefit transfer. Somebody may say that it is a revolution. Revolution will be the outcome of such 'revolution'. So, we should ponder over that kind of direct benefit transfer. This is a clear case of direct benefit transfer.

With these words, I would request you to take this matter up for full-fledged discussion. The Government should, of course, respond to the discussion. But even now the Government should respond to this matter. The Government should react to this matter. The reaction of the Government should come immediately. The Government should stand up and respond in this matter.

With these words, I associate myself with other Members who have spoken in this matter.

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि यह मामला केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि चिन्ताजनक तथा शर्म का भी है। इसमें सरकार की तरफ से हम किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल बी.ए.सी. की मीटिंग है, इसमें माननीय सदस्य तय कर लें और जब चाहें, सरकार इस पर बड़े विस्तार से चर्चा करना चाहती है।

MADAM SPEAKER: Dr. Ajay Kumar is allowed to associate with the matter raised by Shri Prabodh Panda.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, if you give me notice, I will have a discussion on this very important subject. We will also discuss it in the BAC.

Hon. Members, I want to inform the House about lunch hour being skipped today.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I would like to have the reaction of the Government on the Sri Lankan matter.

SHRI KAMAL NATH: Madam, this matter is planned to be discussed very soon. We have planned to discuss it tomorrow.